

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2020/1184

दिनांक ...5/10/2020

//कार्यालयीन आदेश//

प्रायः देखने में आया है कि विश्वविद्यालय के कुछ नियमित/स्थायीकर्मि/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/89 दिवस के ऐसे कर्मचारी जो अपने विभाग में बिना सूचना एवं आवेदन पत्र के कई कई दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं एवं उनका वेतन लगातार निकलता रहता है तथा कुछ कर्मचारी कार्यालय का समय समाप्त होने से पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं

अतः माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार समस्त विभागाध्यक्षो/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त नियमित/स्थायीकर्मि/दैनिक/89 दिवस कर्मचारियों की उपस्थिति प्रत्येक माह की दिनांक 25 तक लेखा शाखा को भेजे उसके पश्चात ही उस माह का वेतन निर्गमित करने की कार्यवाही लेखा शाखा द्वारा की जावे यदि कोई कर्मचारी चिकित्सा अर्जित अथवा लंबी अवधि से अवकाश पर है तो इसकी सूचना तुरन्त प्रशासन विभाग को प्राप्त करें। साथ यह भी अवगत कराया जाता है कि चिकित्सा अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रशासन विभाग में प्राप्त होने पर ही वेतन जारी करने की कार्यवाही की जाये।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ पालनार्थ।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अधीक्षक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट पर सूचना।


सहा/उप-कुलसचिव (प्रशा0)